(178)

राजस्व मण्डल ग्वालियर

## माननीय न्यायालय ~~आयुक्त महोदय~~ उज्जैन संभाग उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /12–13 अपील

डॉ. रमेश साबू पिता श्री लक्ष्मणप्रसाद शर्मा
निवासी 71, सेक्टर 2, श्री राधापुरम स्टेट एम–एच–2
मथुरा द्वारा रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम
कैलाश पिता श्री साबरमलजी सोनी
निवासी 59, क्षपणक मार्ग, उज्जैन

———— अपीलान्ट

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
2–श्रीमती रितु पति स्व. श्री देवीसिंहजी यादव
निवासी 23/13, अम्बर कालोनी, उज्जैन

————रेस्पांडेन्टगण

A 3387-I/13

6/8/2013

350
6/8/2013

**अपील अंतर्गत धारा 47 (4) भारतीस स्टाम्प अधिनियम**

माननीय महोदय,

यह कि, अपीलान्ट अधिनस्थ योग्य न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 74/बी–103/12–13 में पारित आदेश दिनांक–31/05/2013 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर अपील निम्न आधारो पर जानकारी दिनांक से अदंर अवधि प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3387–एक/13 जिला उज्जैन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20–9–2017 | अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा अधिनियम की धारा 33 एवं 38 (2) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है । उक्त धाराओं के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 47 (4) के अन्तर्गत अपील प्रचलन योग्य नहीं है । अतः यह अपील इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । जहां तक प्रकरण के गुण–दोष का प्रश्न है कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर म.प्र. लिखतों के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है ।<br>2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–5–2013 स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की जाती है ।<br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |